

कार्यालय संयुक्त संसाधन, नगर तथा ग्राम निवेश,  
प्लॉट क्रमांक-15, विडी नं० सेंटर, मजगातल, जयपुर 305008

क्रमांक-----/न०/T01न०/एल-0030395/जयपुर दिनांक-----/दरारी, 1999

प्रति,

श्री अशोक कुमार, कर्म,

अध्यक्ष,  
आयुध निर्माण गृह निर्माण सहकारी संस्थित,  
कटनी 305008

विषय: ग्राम टिक्करी, न.व.-108, प.स.नं. 45/2, उस्ता नं. 51/13, 391/1-  
392/1, 393/1-2, 394/1-2 एवं 395 का भाग का रकबा 2,10,000  
वर्गफुट भूमि का अभिन्यास अनुमोदन आदेश ।

संदर्भ: आपका आदेशन-पत्र दिनांक 24/12/1998

- x x x -

संदर्भित आपके आदेशन-पत्र में पद्यावर्जित आवासीय अभिन्यास संबंधी  
विकास कार्यों के क्रियान्वित करने हेतु एतद्वारा 30500 नगर तथा ग्राम निवेश  
अधीनस्थ 1973 की धारा 16 एवं 30500 भूमि विकास निधम 1984 के नियम 215  
इकाई एवं 27 के प्रावधानों के अधीन निम्नीलिखित शर्तों के अधीन अभिन्यास में ताल  
स्याही से किये गये संशोधन अनुसार विकास अनुज्ञा निम्न शर्तों के तहत दी जाती है

1. संलग्न अभिन्यास के आधार पर कालोनी के आंतरिक विकास हेतु शा  
देश अनुसार 10% धरोहर तथा 2% सुपरसीजन की राशि नगर निगम,  
कटनी में जमाकरवानी होगी ।
2. मध्य प्रदेश शासन शासन एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 2/1/1997 के परिपत्रानुसार आवासीय अभिन्यास को स्वीकृत में प्राप्त  
आवासीय आदेश तक का द्वय विकास शुरू करना करने की आवश्यकता  
नहीं होगी ।
3. यह अनुज्ञा जारी होने की तारीख से 60 दिन के अंदर अभिन्यास  
अनुसार सीमांकन में अंतर आने पर इस कार्यालय से सीमांकन अभि-  
न्यास अनुमोदन कराना होगा ।
4. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तार्वकिक सुविधा जैसे:- पत प्रदान,  
मत प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था आदि अभिन्यास  
में अंकित कर नगर निगम से उसका अनुमोदन कराना होगा ।

- § 5 § मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निगम अधिनियम 1973 की धारा 15 के तहत यह अनुज्ञा केवल स्वीकृत की दिनांक से तीन वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी तथा धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा का अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभ में दी गई अनुज्ञा की तारीख से नव-वर्ष बढ़ाई जा सकेगी, जिसकी कुल अवधि 5 वर्ष होगी ।
- § 6 § भूमि विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुभागीय अधिकारी से भूमि का व्यवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा ।
- § 7 § भूखण्डों का आवंटन सम्पूर्ण विकास कार्य होने के उपरांत स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार किया जावे ।
- § 8 § कालोनी का विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही भवन निर्माण की अनुज्ञा नगर निगम कटनी द्वारा दी जावेगी ।
- § 9 § धरेलू नौकरों हेतु आरक्षित 15% भूमि जिसका अधिपत्य नाथन तहसील दार नवल कटनी को दिनांक 16.10.75 को सौंपा गया है, का विक्रय एवं हस्तांतरण वर्जित होगा ।
- § 10 § अभिन्यास में आरक्षित पार्क हेतु घुले क्षेत्र एवं प्रीत सौ मीटर पर एक की दर से सड़कों के दोनों ओर नियोजित वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा ।
- § 11 § किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व एवं सीमा विवाद होने तथा गलत जानकारी देने या द्वाप में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वयं निरस्त हो जावेगी ।
- § 12 § नगर निगम द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाने पर ही समिति को भवन मानीचर स्वीकृत होंगे ।
- अ. समिति द्वारा आंतरिक विकास के 10% धुरोहर राशि एवं 2% सुपरवीजन राशि नगर निगम में जमा होगी ।
- ब. भूमि का व्यवर्तन कराया जाना तथा निजलाध्यक्ष से विकास अनुमति प्राप्त करना ।
- स. समिति द्वारा किये गये विकास कार्य संतोषजनक पाया जाना तथा विकास कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना ।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

इस अनुज्ञा से :-

- एक - ग०प० भू-राजस्व संहिता 1959 •
- दो- नगर भूमि अधिक्तम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 •
- तीन- ग०प० नगर पालिका-१ कालोना ईयर का रजिस्ट्रीकरण निदेशन तथा शर्तों १ विनियम 1998 •
- चार- ग०प० नगर पालिका अधिनियम 1956 तथा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना हो तो वह लेनी होगी तथा उसमें आरोपित शर्तों का पालन करना होगा ।

संतुष्ट- अनुमोदित अभिन्यास की प्रत ।

*PS*  
16/04/99  
संतुष्ट संयातक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जबलपुर

प०क्र० -----/नगानि/सह-0030395 /जबलपुर दिनांक-----फरवरी, 1999

प्रतिनिधि:

- 1- जिताध्यक्ष, जिता-कटनी को कालोना ईयर कायसेस क्रमांक-77 दिनांक 22/4/95 के संदर्भ में सूचनार्थ *अपेक्षा* ।
- 2- आयुक्त, नगर निगम, कटनी, जिता-कटनी की ओर सूचनार्थ ।
- 3- अनुष्ठापनीय अधिकारी कटनी को उनके पत्र क्रमांक 29/रीडर/अ.वि.अ./नमूल/95 दिनांक 30.10.95 के संदर्भ में सूचित किया गया है कि समिति की इनफारमल सेक्टर हेतु 31500 वर्गफुट भूमि का कच्चा नायब तहसीलदार द्वारा प्राप्त किया गया है, सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- अधीक्षक, भू-अभिलेख, भू-परीक्षण शाखा, कटनी की ओर सूचनार्थ

*sd*  
संतुष्ट संयातक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जबलपुर

